This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 5 अक्तूबर, 2013 / 13 आश्विन, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 18th *September,* 2013

No. 1-10/2013-35091.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days Earned Leave *w.e.f.* 19-09-2013 to 21-09-2013 in favour of Shri D.S. Nainta, Additional Advocate General of this department with permission to avail suffix Gazetted Holidays, Second Saturday & Sunday falling on 22nd September, 2013.

Certified that Shri D.S. Nainta, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days Earned Leave and this period will count for continuation of this service.

Certified that Shri D.S. Nainta, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

Sd/-
Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 17th *September,* 2013

No.1-8/2013-34704.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days Earned Leave *w.e.f.* 09-09-2013 to 11-09-2013 in favour of Shri Rajinder Singh Verma, Additional Advocate General of this department with permission to avail prefix Sunday falling on 8th September, 2013.

Certified that Shri Rajinder Singh Verma, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days Earned Leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri Rajinder Singh Verma, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave to return for duty to the Station from where he proceeded on leave.

Sd/-
Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 17th *September,* 2013

No.1-20/2013-34700.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days Earned leave *w.e.f.* 09-09-2013 to 11-09-2013 in favour of Shri D.C. Pathik, Additional Advocate General of this department with permission to avail prefix Sunday falling on 8th September, 2013.

Certified that Shri D.C. Pathik, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days Earned leave and this period will count for continuation of his service.

Certified that Shri D.C. Pathik, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave to return for duty to the Station from where he proceeded on leave.

Sd/-
Advocate General.

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 23 / तह0 / 2012 तारीख पेशी : 7–11–2013

श्री ऋषि कुमार, मोहित पुत्र व श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव तमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री शशीपाल पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी तमोता, 2. श्री यशपाल, 3. श्री सशील पाल पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी लोअर करहा, डा0 खरवाड़ भोरंज, जिला हमीरपुर, 4. रोहित कुमार पुत्र व, 5. अनुपम पुत्री व 6. श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व0 श्री शिव नाथ, 7. शीला देवी पुत्री श्री नानक चन्द, 8. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री साधू राम, सभी पार्टनर मैसर्ज नव दुर्गा स्टोन क्रशर तमोता, निवासी तमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र तकसीम बाबत अराजी खाता नं0 51, खतौनी नं0 66, खसरा नम्बरान कित्ता 11, रकबा तादादी 03–93–06 है0, जमाबन्दी साल 2004–05, वाक्या महाल व मौजा तमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार राजपत्र।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र तकसीम का अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को बार–बार समन जारी किए लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो रही है और न ही वे हाजिर हुये हैं और कोर्ट को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए असालतन या वकालतन दिनांक 7–11–2013 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें। गैर–हाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

प्रताप सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

––––––––––

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 53 / तह0 / 2004 तारीख पेशी : 21–10–2013

श्री राज कुमार पुत्र व श्री करतार चन्द, निवासी गांव माजरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री संजय कुमार, 2. श्री ललित शर्मा, 3. श्री अजय शर्मा पुत्रान व 4. श्रीमती जनक रानी पत्नी श्री कृष्ण चन्द, 5. दीपक शर्मा पुत्र श्री विशन शर्मा, 6. श्री अखिल डोगरा, 7. श्री मुखलीश डोगरा पुत्रान श्री हरीश शर्मा, 8. श्रीमती राजिन्द्रा देवी पत्नी श्री राज बहादुर, 9. श्री रतन सिह पुत्र श्री सुच्चा, 10. श्री महिन्द्र सिंह, 11. श्री योगिन्द्र सिंह पुत्रान श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव माजरा, 12. श्री ज्ञान सिंह, 13. श्री दुआन सिंह, 14. शंगारा सिंह पुत्रान श्री हरनाम सिंह, 15. श्रीमती सम्वानी देवी पत्नी श्री बख्शी, निवासीगण गांव मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र तकसीम बाबत अराजी खाता नं0 51, खतौनी नं0 116 ता 127, खसरा कित्ता 20, रकबा तादादी 04–54–77 है0, जमाबन्दी साल 1997–98, वाक्या महाल व मौजा माजरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार राजपत्र।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र तकसीम का अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को बार–बार समन जारी किए लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो रही है और न ही वे हाजिर हुये है और कोर्ट को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए असालतन या वकालतन दिनांक 21–10–2013 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें। गैर–हाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

प्रताप सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : / तह0 / 2013 तारीख पेशी : 20–11–2013

श्री रणवीर सिंह उर्फ रणविजय पुत्र श्री धर्म चन्द पुत्र श्री रखो, निवासी गांव पनियाला, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र दरुस्ती नाम राजस्व रिकॉर्ड बाबत अराजी खाता नं0 148, खतौनी नं0 198, खसरा नम्बरान कित्ता 3, रकबा तादादी 0–40–60 है0, जमाबन्दी साल 2008–09, वाक्या महाल व मौजा पनियाला, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार राजपत्र।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख व उसके शिक्षा प्रमाण–पत्रों व अन्य दस्तावेजों में रणवीर सिंह पुत्र श्री धर्म चन्द पुत्र श्री रखो सही लिखा है और उसका सही नाम भी रणवीर सिंह है लेकिन उक्त विषय से सम्बन्धित भूमि खाता नं0 148, खतौनी नं0 198, खसरा कित्ता 3, रकबा तादादी 0–04–60 है0, जमाबन्दी साल 2008–09, महाल व मौजा पनियाला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रनविजय पुत्र श्री धर्म चन्द गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसकी दरुस्ती करके उसका सही नाम रणवीर सिंह दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें में नाम की दरुस्ती करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20–11–2013 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें अन्यथा मिसल पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

प्रताप सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।.

————————

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 23 / तह0 / 2012 तारीख पेशी : 7–11–2013

श्री ऋषि कुमार, मोहित पुत्र व श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव तमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री शशीपाल पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी तमोता, तह0 इन्दौरा, जिला कांगड़ा, 2. श्री यशपाल पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी लोअर करहा, डा0 खरवाड़ भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ..प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र तकसीम बाबत अराजी खाता नं0 50, खतौनी नं0 65, खसरा नम्बरान 278 / 2, कित्ता 1, रकबा तादादी 0–11–51 है0, जमाबन्दी साल 2004–05, वाक्या महाल व मौजा तमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार राजपत्र।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र तकसीम का अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को बार–बार समन जारी किए लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो रही है और न ही वे हाजिर हुये हैं और कोर्ट को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए वे असालतन या वकालतन दिनांक 7–11–2013 को प्रातः

11.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें। गैर–हाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। प्रताप सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, इन्दौरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : 23 / तह0 / 2012 तारीख पेशी : 7–11–2013

श्री ऋषि कुमार, मोहित पुत्र व श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार, निवासी गांव तमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ..प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री शशीपाल पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी तमोता, तह0 इन्दौरा, जिला कांगड़ा, 2. श्री यशपाल पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी लोअर करहा, डा0 खरवाड़ भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ..प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र तकसीम बाबत अराजी खाता नं0 52, खतौनी नं0 67–68, खसरा नम्बरान कित्ता 10, रकबा तादादी 1–16–29 है0, जमाबन्दी साल 2004–05, वाक्या महाल व मौजा तमोता, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार राजपत्र।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र तकसीम का अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण को बार–बार समन जारी किए लेकिन उनकी सही ढंग से तामील न हो रही है और न ही वे हाजिर हुये हैं और कोर्ट को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे उक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमें की पैरवी करने के लिए असालतन या वकालतन दिनांक 7–11–2013 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होवें। गैर–हाजिर रहने की सूरत में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर। प्रताप सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।.

ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप–तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री फिक्कोदीन पुत्र श्री कालूदीन, निवासी ग्राम हरलू दमौत, उप–तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री फिक्कोदीन पुत्र श्री कालूदीन, निवासी ग्राम हरलू दमौत, उप–तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में रफीक मुहम्मद पुत्र कालूदीन दर्ज है जो कि गलत है जबकि पंचायत रिकॉर्ड में फिक्कोदीन पुत्र श्री कालूदीन दर्ज है जो कि सही है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन–पत्र मय हल्फिया ब्यान, परिवार रजिस्टर की नकल जमाबन्दी की नकल संलग्न कर प्रस्तुत की है। जिसकी दरुस्ती हेतु राजस्व रिकॉर्ड में फिक्कोदीन पुत्र श्री कालूदीन दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता, ग्राम हरलू दमौत व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28–10–2013 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना–पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 25–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
उप–तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप–मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री यशी दौरजी पुत्र श्री अरिंग दौरजी, निवासी ग्राम खम कातोक, तिब्बतन सोसायटी सतौन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

सचिव, ग्राम पंचायत सतौन

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री यशी दौरजी पुत्र श्री अरिंग दौरजी, निवासी ग्राम खम कातोक, तिब्बतन सोसायटी सतौन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना–पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती टशी डोलमा पुत्री श्री गोनपो, ग्राम खम कातोक, तिब्बतन सोसायटी सतौन, तहसील

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 9–2–2009 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23–10–2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात / एतराज पेश कर सकता / सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (एच0ए0एस0), उप–मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सतपाल पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी ग्राम व डा0 डान्डा आंज, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

सचिव, ग्राम पंचायत सतौन

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 8 (4) के अन्तर्गत विवाह के पंजीकरण बारे।

श्री सतपाल पुत्र स्व0 श्री धर्म सिंह, निवासी ग्राम व डा0 डान्डा आंज, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना–पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आशय से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती सुमाती पुत्री श्री मनी राम, निवासी कलाथा, तहसील पांवटा साहिब के साथ दिनांक 6–5–2001 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत डान्डा आंज, पांवटा साहिब में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25–10–2013 से पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपने उजरात / एतराज पेश कर सकता / सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26–9–2013 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। श्रवण मान्टा,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित